पत्र सं0-ब0-17/स्कीम(दिशा-निर्देश)-30/2025 239 /वि0,

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

डॉ0 आशिमा जैन, भा0प्र0से0
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 04/04/2025

विषय- **स्कीमों की समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु बैंक ऑफ सैंक्शन (BoS) की गणना तथा दायित्वों की स्थिति स्पष्ट किये जाने के संबंध में।**

प्रसंग- **वित्त विभागीय पत्र सं0-7731, दिनांक-20.09.2019, संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 एवं पत्र सं0-201, दिनांक-13.03.2025**

महाशय,

वित्त विभागीय उक्त प्रासंगिक संकल्प एवं पत्रों के माध्यम से स्कीमों की समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु BoS की गणना तथा दायित्वों के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है ।

2. ऐसा देखा जा रहा है कि विभागीय प्रस्तावों में BoS की गणना तथा दायित्वों की विवरणी की प्रविष्टि में कतिपय त्रुटियों के कारण संबंधित स्कीमों की समुचित समीक्षा में कठिनाई एवं विलम्ब होता है । इन त्रुटियों के निराकरण हेतु निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट करते हुए नये प्रपत्र निर्धारित किये जा रहे हैं:-

2.1 <u>विभागीय प्रस्तावों में BoS की गणना तथा दायित्वों के विवरण में परिलक्षित सामान्य त्रुटियाँ:-</u>

(i) प्रायः प्रशासी विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय से संबंधित स्कीमों के लिए पुनर्विनियोग एवं अनुपूरक से प्राप्त अतिरिक्त राशि को भी मूल बजटीय उपबंध में शामिल कर, उसका तीन गुणा करते हुए BoS की गणना की जाती है, जो सही नहीं है । BoS की गणना में मात्र मूल बजटीय उपबंध की राशि का ही तीन गुणा किया जाएगा तथा पुनर्विनियोग एवं अनुपूरक से प्राप्त राशि को मात्र अतिरिक्त के रूप में जोड़ा जाएगा ।

(ii) इसी प्रकार राजस्व व्यय से संबंधित स्कीमों के लिए भी BoS की गणना कर दी जाती है, जबकि राजस्व व्यय से संबंधित स्कीमों के लिए BoS की गणना नहीं की जाएगी बल्कि केवल बजट उपबंध के आलोक में दायित्वों की स्थिति का निर्धारण किया जाएगा ।

4/4/2025

(iii) जिस विपत्र कोड/विषय शीर्ष से व्यय न भी होना हो, उसे भी बजट उपबंध एवं BoS की गणना में शामिल कर लिया जाता है, जो सही नहीं है ।

उपर्युक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु आगे की कंडिकाओं में विस्तृत रूप से स्थिति स्पष्ट की गई है ।

2.2 विपत्र कोड एवं विस्तृत शीर्ष व विषय शीर्ष की व्याख्या

विदित है कि बजट का उपबंध विपत्र कोड में किया जाता है । CFMS लागू होने के उपरान्त प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित विपत्र कोड में संबंधित मांग संख्या को जोड़ा गया है । विपत्र कोड की संरचना को निम्न सारणी से समझा जा सकता है :-

क्र0सं0	विषय	कोड
(i)	मांग संख्या	2 अंक (यह संबंधित विभाग को दर्शाता है)
(ii)	मुख्य शीर्ष	4 अंक (यह Major Function को दर्शाता है, इसके अंतर्गत 4 अंकीय मुख्य शीर्ष का प्रथम अंक यदि 2 अथवा 3 हो तो यह राजस्व व्यय की प्रकृति का होगा एवं प्रथम अंक यदि 4 अथवा 5 हो तो यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति का होगा)
(iii)	उपमुख्य शीर्ष	2 अंक (यह Sub Major Function को दर्शाता है)
(iv)	लघु शीर्ष	3 अंक (यह Programme को दर्शाता है)
(v)	उप शीर्ष	4 अंक (यह Scheme को दर्शाता है)
(vi)	विस्तृत शीर्ष	4 अंक (विस्तृत शीर्ष-2 अंक एवं विषय शीर्ष-2 अंक अर्थात् दोनों मिलाकर कुल 4 अंक का होता है, इनमें ही बजटीय उपबंध होता है तथा विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष ही व्यय मदों के लिए अंतिम प्राथमिक इकाई है)
(vii)	विषय शीर्ष	

क्रमांक-(i) से (v) तक के कोड को मिलाकर 15 अंकीय विपत्र कोड बनता है। जैसेः-विपत्र कोड- 21-2202-01-109-0102 अंतर्गत 21-शिक्षा विभाग को, 2202-सामान्य शिक्षा को, 01-प्रारम्भिक शिक्षा को, 109-छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन को एवं 0102-मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना को दर्शाता है । इस विपत्र कोड के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष-34-01-छात्रवृत्ति/वजीफा को प्रदर्शित करता है ।

2.3 BoS का निर्धारण

दायित्वों की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु पूर्व में वित्त विभागीय पत्र सं0-7731, दिनांक-20.09.2019 द्वारा प्रपत्र निर्गत किया गया था । वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-14 में BoS को पुनः स्पष्ट किया गया है । इस संकल्प के अनुसार BoS का निर्धारण मात्र पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत आने वाले स्कीमों के लिए ही किया जाएगा । राजस्व व्यय से संबंधित स्कीमों में BoS लागू नहीं होगा, परंतु बजटीय उपबंध के आलोक

[signature] /4/2025

में इसके लिए भी दायित्वों की समीक्षा आवश्यक है, अर्थात् राजस्व व्यय से संबंधित स्कीमों में भी दायित्वों की स्थिति स्पष्ट किया जाना अनिवार्य होगा ।

2.4 पूंजीगत व्यय की स्कीमों के लिए BoS की गणना

उपर्युक्त के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत आने वाली स्कीमों के लिए BoS की गणना स्कीम से संबंधित विपत्र कोड के मूल बजटीय उपबंध की राशि के आधार पर वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-14 के आलोक में की जाएगी । तदनुसार संगत विपत्र कोड के सभी विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में उपबंधित राशि को जोड़कर BoS का निर्धारण किया जाएगा न कि मात्र उस विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष को, जिससे राशि का व्यय किया जाना है ।

जैसेः-यदि विपत्र कोड-41-5054-03-337-0123 के विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष 53-01-मुख्य निर्माण कार्य तथा विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष-53-02-भू-अर्जन दोनों में बजटीय उपबंध हो तो BoS की गणना में दोनों विस्तृत एवं विषय शीर्ष के योगफल को शामिल किया जाएगा ।

2.5 राजस्व व्यय की स्कीमों के लिए दायित्वों की स्थिति का निर्धारण

राजस्व व्यय से संबंधित स्कीमों के लिए दायित्वों की स्थिति स्पष्ट करने के क्रम में स्कीम से संबंधित विपत्र कोड के मात्र उस विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष को ही शामिल किया जाएगा, जिस विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष से राशि का व्यय किया जाना है, न कि संगत विपत्र कोड के अन्य विस्तृत एवं विषय शीर्षों को।

जैसेः- यदि विपत्र कोड-23-2851-00-103-0113 के विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष 31-05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से राशि का व्यय किया जाना है तो दायित्वों की स्थिति के निर्धारण में केवल विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष-31-05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण में किये गये बजटीय उपबंध का ही उल्लेख करना होगा। विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष-31-04-सहायक अनुदान-वेतन एवं 31-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन में किये गये बजटीय उपबंध को दायित्वों की स्थिति के निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा ।

2.6 राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण की स्वीकृति एवं निवेश से संबंधित समेकित स्कीम के संबंध में BoS का निर्धारण

राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण की स्वीकृति एवं निवेश से संबंधित समेकित स्कीम के मामले में प्रशासी विभाग राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण की उगाही बाह्य स्रोत से करता है, परंतु निवेश की राशि राज्य सरकार पर भारित होती है। निवेश पर होने वाला व्यय पूंजीगत व्यय है, ऐसे मामले में मात्र निवेश से संबंधित राशि के लिए BoS की गणना उपर्युक्त कंडिका-2.4 के अनुसार की जाएगी ।

Sd/- 11/4/2025

3. राजस्व एवं पूंजीगत दोनों प्रकृति की स्कीमों की स्वीकृति के संबंध में बजट उपबंध व दायित्वों की स्थिति स्पष्ट किए जाने तथा पूंजीगत शीर्ष अंतर्गत BoS की समुचित गणना करने हेतु पुनरीक्षित प्रपत्र निर्धारित किये जा रहे हैं, जो इस पत्र के साथ संलग्न हैं। सभी प्रकार की स्कीम (पूंजीगत एवं राजस्व सहित) के लिए ये प्रपत्र आवश्यक हैं।

4. अतः अनुरोध है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 में वर्णित विभिन्न स्तर के स्कीमों के समीक्षा प्राधिकार एवं स्वीकृति प्राधिकार के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किये जाने के क्रम में बजट उपबंध, BoS एवं दायित्वों की पूर्ण स्थिति का विवरण संलग्न प्रपत्रों में निश्चित रूप से अंकित किया जाय । इन प्रपत्रों में आवश्यक वांछित सूचना के अभाव में वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 के तहत किसी भी स्तर पर प्रस्तावित स्कीम के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

<u>अनु0-यथोक्त (प्रपत्र कुल 4 पृष्ठों में) ।</u>

विश्वासभाजन

Ashima Jain 4/4/2025

(डॉ0 आशिमा जैन)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः- ब0-17/स्कीम(दिशा-निर्देश)-30/2025-239/वि०,पटना, **दिनांक**-04/04/2025

प्रतिलिपिः-प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Ashima Jain 4/4/2025

(डॉ0 आशिमा जैन)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः- ब0-17/स्कीम(दिशा-निर्देश)-30/2025-239/वि०,पटना, **दिनांक**-04/04/2025

प्रतिलिपिः-विकास आयुक्त/ अध्यक्ष, लोक वित्त समिति, योजना एवं विकास विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ashima Jain 4/4/2025

(डॉ0 आशिमा जैन)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः- ब0-17/स्कीम(दिशा-निर्देश)-30/2025-239/वि०,पटना, **दिनांक**-04/04/2025

प्रतिलिपिः-माननीय उपमुख्य(वित्त) मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/ बजट एवं स्कीम शाखा से संबंधित सभी पदाधिकारी/ आई०टी० मैनेजर, वित्त विभाग/ सभी बोर्ड/ प्राधिकार/ एजेंसी/ कंपनी/ सोसाइटी के प्रबंध निदेशक/ महाप्रबंधक/ कार्यपालक निदेशक/ निदेशक/अध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ashima Jain 4/4/2025

(डॉ0 आशिमा जैन)

सचिव (व्यय)

स्कीमों की स्वीकृति के संबंध में बैंक ऑफ सैंक्शन (BoS) एवं दायित्वों की स्थिति के लिए प्रपत्र

प्रपत्र-(क):- स्कीम की प्रकृति का विवरण:-

1.	विभाग का नाम एवं मांग संख्या	
2.	स्कीम का नाम (स्कीम से संबंधित प्रस्ताव एवं राशि का उल्लेख किया जाए)	
3.	**स्कीम की प्रकृति**	
	(i) राजस्व या पूंजीगत	
	(ii) केन्द्र प्रायोजित (केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात सहित), केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य स्कीम/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	
	(iii) सहायक अनुदान (वेतन/गैर वेतन/परिसम्पत्तियों के निर्माण) सहायक अनुदान (गैर वेतन) के मामले में पेंशन/अन्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें	
	(iv) नाबार्ड/सिडबी/एन0एच0बी0 इत्यादि या बाहृय सम्पोषित	
4.	स्कीम नई है या चालू	
5	**आवर्ती व्यय के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें**	
	(i) क्या यह ऐसी स्कीम है जिसमें साल-दर-साल राशि का व्यय किया जाना है ?	
	(ii) यदि हाँ, तो इसमें होने वाले वार्षिक व्यय का उल्लेख करें	
	(iii) यदि आकलन संभव हो तो आवर्ती व्यय से संबंधित इस स्कीम अवधि में होने वाले संपूर्ण व्यय का भी उल्लेख करें	

(विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का हस्ताक्षर मुहर सहित)

प्रपत्र-(ख):- बजट उपबंध एवं बैंक ऑफ सैंक्शन (BoS) की स्थिति (केवल पूंजीगत व्यय की स्कीमों के लिए):-

(राशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड (कंडिका-2.2 की तालिका के क्रमांक (i) से (v) के अनुसार 15 अंकीय)	विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष (कंडिका-2.2 की तालिका के क्रमांक (vi) एवं (vii) के अनुसार)	मूल बजट उपबंध	अनुपूरक/पुनर्विनियोग से प्रावधानित अतिरिक्त राशि					बैंक ऑफ सैंक्शन (BoS) की कुल राशि (संबंधित वित्तीय वर्ष में निर्धारित विपत्र कोड अंतर्गत मूल बजट उपबंध X 3 + अनुपूरक/पुनर्विनियोग से प्रावधानित अतिरिक्त राशि) (4 X 3 + 9)
				प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि	द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि	तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि	पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि	कुल अतिरिक्त राशि (5+6+7+8)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.									
2.									
3.									
4.									
		कुल योग							

(मूल बजट उपबंध एवं अनुपूरक/पुनर्विनियोग से प्रावधानित अतिरिक्त राशि की सी0एफ0एम0एस0 विवरणी अथवा संगत साक्ष्य संलग्न करें।)

नोटः- बी0सी0एफ0 से प्राप्त अतिरिक्त राशि को संबंधित अनुपूरक वाले कॉलम में "बी0सी0एफ0 से प्राप्त" अंकित करते हुए दर्शाया जाएगा ।

(विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का हस्ताक्षर मुहर सहित)

प्रपत्र-(ग):- बजट उपबंध की स्थिति (केवल राजस्व व्यय की स्कीमों के लिए):-

(राशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड (कंडिका-2.2 की तालिका के क्रमांक (i) से (v) के अनुसार 15 अंकीय)	विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष (कंडिका-2.2 की तालिका के क्रमांक (vi) एवं (vii) के अनुसार)	मूल बजट उपबंध	अनुपूरक/पुनर्विनियोग से प्रावधानित अतिरिक्त राशि				
				प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि	द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि	तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि	पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि	कुल अतिरिक्त राशि (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
		कुल योग						

(मूल बजट उपबंध एवं अनुपूरक/पुनर्विनियोग से प्रावधानित अतिरिक्त राशि की सी0एफ0एम0एस0 विवरणी अथवा संगत साक्ष्य संलग्न करें।)

नोटः-बी0सी0एफ0 से प्राप्त अतिरिक्त राशि को संबंधित अनुपूरक वाले कॉलम में ''बी0सी0एफ0 से प्राप्त'' अंकित करते हुए दर्शाया जाएगा।

(विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का हस्ताक्षर मुहर सहित)

प्रपत्र-(घ):- प्रस्तावित विपत्र कोड तथा विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत/अनुशंसित स्कीमों का दायित्व विवरण (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों प्रकृति की स्कीमों के लिए):-

(राशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	प्रस्तावित शीर्ष अंतर्गत दायित्वों की स्थिति	चालू वित्तीय वर्ष का दायित्व/ अनुशंसित राशि	आगामी प्रथम वित्तीय वर्ष का दायित्व	आगामी द्वितीय वित्तीय वर्ष का दायित्व	आगामी तृतीय वित्तीय वर्ष का दायित्व	आगामी चतुर्थ वित्तीय वर्ष का दायित्व	अनुशंसित राशि सहित कुल दायित्व
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अब तक स्वीकृत/अनुशंसित स्कीमों का विवरण						
	(i) सभी सक्षम प्राधिकारों (अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागीय मंत्री/वित्त मंत्री/मंत्रिपरिषद्) द्वारा स्वीकृत सभी स्कीमों का कुल दायित्व						
	(ii) लोक वित्त समिति द्वारा अनुशंसित वैसी स्कीमों की कुल राशि, जो सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (अर्थात् मंत्रिपरिषद्) से तत्काल स्वीकृत न हुई हो एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में हो						
	(iii) विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुशंसित वैसी स्कीमों की कुल राशि, जो सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से तत्काल स्वीकृत न हुई हो एवं स्वीकृति की प्रक्रिया में हो (अर्थात् अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागीय मंत्री/वित्त मंत्री द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया में हो)						
	(iv) अब तक स्वीकृत/अनुशंसित सभी स्कीमों की कुल राशि/दायित्व (i+ii+iii)						
2	बैंक ऑफ सैंक्शन(BoS) की शेष राशि (केवल पूंजीगत व्यय के लिए)	प्रपत्र-(ख) के अनुसार बैंक ऑफ सैंक्शन की कुल राशि में से उपर्युक्त प्रपत्र-(घ) के कॉलम-3 की कंडिका-1(iv) के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अब तक स्वीकृत/अनुशंसित सभी स्कीमों की कुल राशि/दायित्व घटाने के बाद शेष राशि					
3.	प्रस्तावित स्कीम का दायित्व						
4.	प्रस्तावित स्कीम सहित कुल दायित्व {1(iv)+3}						

(विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का हस्ताक्षर मुहर सहित)